ज्ञापांक 3753 / आपूर्ति

70–1–5–2015

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 02-9-15

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

बिहार, पटना।

विषय :- **निविदा आमंत्रण सूचना सं0–17/2015–16 के प्रकाशन के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना सं0–17/2015–16 की पाँच प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए कहना है कि इसे राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय साथ ही पी0आर0डी0 वेब साईट पर प्रसारित करने की कृपा की जाय।

साथ ही राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय। इसका प्रकाशन किन–किन समाचार पत्रों में किया गया इसकी सूचना देने का कष्ट किया जाय।

अनु0–यथोपरि।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्रय)
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:–

1. आई0टी0 प्रबंधक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। इसे आज ही वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना ।

निविदा आमंत्रण सूचना सं0–17 / 2015–16

1. [illegible]– पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार, पटना ।
2. [illegible] का नाम एवं पता– पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू),बिहार,पटना ।
3. [illegible] की तिथि एवं समय दिनांक– [illegible] / 2015 –11:00 बजे पूर्वाह्न तक ।
4. [illegible] की तिथि एवं समय दिनांक– [illegible] / 2015 –11:00 बजे पूर्वाह्न ।
5. [illegible] का स्थान–पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना [illegible] निविदा पेटी।
6. [illegible]–

क्रमांक	सामग्री का नाम एवं गुणस्तर	[illegible]
1	**आयरन फोल्डिंग कॉट–** 1. [illegible] एम.एम. का आई.एस. 2062 / 2006 गुणस्तर का आयरन का [illegible] फ्रेम होगा । 2. इस फ्रेम की चौड़ाई में दो सपोटर 25×25×3 एम.एम. का ,एम.एस. [illegible] होगा । 3. [illegible] फ्रेम अच्छी तरह से पेंट किया हुआ होगा । 4. लेग पाईप का आउटर डायमेंशन 25 एम.एम. एवं मोटाई 1.6 एम.एम. का [illegible] / [illegible] गुणस्तर का होगा। जिसमें पौन इंच का वाटर [illegible] आई.एस.–[illegible] या प्लाई बोर्ड आई.एस.–303(ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज) [illegible] 1980×910×460 एम.एम. का होगा । 5. ऐंगल फ्रेम में प्लाईवुड हेक्सागोनल गैल्वेनाईज्ड नट एवं बोल्ट से कसा होगा । 6. ग्रीन ब्लैक बोर्ड आई.एस. 1659 या प्लाई बोर्ड आई.एस.–303(ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज) [illegible] अन्तिम आकार 1980×910×460 एम.एम. का होगा । 7. [illegible] के लेग मोड़ने वाले होना चाहिए तथा मोड़ने के लिए 20×5 एम.एम. [illegible] फ्रेम से लगी होगी। 8. चारो लेग पर मच्छरदानी के लिए डंटा लगाने का प्रावधान होगा। । 9. लेग के निचले भाग में पी.वी.सी. या हार्ड रबर के मजबूत शूज लगे रहेंगे ।	

निविदा के नियमों, शर्तो की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू), बिहार, पटना के दूरभाष सं0–0612–2215295 पर सम्पर्क किया जा सकता है कार्यालय के सूचना पट तथा वेबसाइट www.prdbihar.gov.in or www.biharpolice.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू)
बिहार, पटना ।

निविदा संख्या– 17/2015–16 के नियम एवं शर्तें

1– इन मदों में निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर [illegible] स्थानीय [illegible] / स्थानीय कार्यालय / विक्रेता / एजेंट / आपूर्तिकर्ता / प्राधिकृत डीलर [illegible] [illegible] निर्माताओं का क्रयादेश के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन [illegible] । अधिकृत विक्रेता / प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्ता फर्म का [illegible] समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

2– । (एक) नमूना निविदा के साथ केन्द्रीय वस्त्र भण्डार, बिहार, पटना में समर्पित [illegible] । नमूना समर्पित नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3– वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 का आयकर रिटर्न [illegible] लॉस अकाउंट एवं बैलेंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड [illegible] कराकर (मुहर सहित) निविदा के साथ समर्पित की जाए ।

4– सभी मदों के लिए निविदा दो भागों में –(1) तकनीकी भाग तथा (2) वित्तीय भाग [illegible] जाएगा ।

5– तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो–कमर्शियल प्रोफाइल), वार्षिक [illegible] अन्य शर्तों का प्रमाण पत्र, आपूर्ति से संबंधित शर्तें, अग्रधन की वांछित राशि आदि अन्य सभी आवश्यक [illegible] संलग्न कर समर्पित करेंगे ।

6– वित्तीय भाग में सिर्फ मद का दर सभी कर सहित अंकित करेंगे । अंकित दर में कोई [illegible] [illegible] मान्य नहीं होगा तथा ऐसी निविदा को अस्वीकृत किया जा सकेगा। मद के लिए वित्तीय भाग अलग लिफाफा में बंद कर उसके उपर मद का नाम लिखकर एक लिफाफे में बंद कर देना होगा ।

7– तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग दो अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद रहेंगे तथा दोनों लिफाफों के उपर निविदा सं0–17/2015–16 का तकनीकी भाग तथा निविदा सं0–17/2015–16 का वित्तीय भाग अंकित रहेगा । इन लिफाफों पर फर्म का नाम एवं पता अंकित रहेगा । **ये दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद रहेगें जिसके उपर सिर्फ निविदा सं0–17/2015–16 अंकित रहेगा । फर्म का नाम एवं पता इस पर अंकित नहीं रहेगा।**

8– नमूना पर क्रय दर किसी भी परिस्थिति में अंकित नहीं किया जाएगा ।

9– फर्म द्वारा समर्पित निविदा के तकनीकी भाग तथा नमूने की जांच केन्द्रीय तकनीकी–सह–उपयोगकर्त्ता समिति द्वारा की जाएगी । फर्मों को तकनीकी सह उपयोगकर्त्ता समिति के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होने हेतु आमंत्रित भी किया जा सकता है । फर्म के उत्पादन इकाई का आवश्यकतानुसार निरीक्षण भी किया जा सकता है। जिस फर्म के तकनीकी भाग तथा समर्पित नमूने से [illegible] समिति संतुष्ट होगी उसी फर्म का वित्तीय भाग समिति के समक्ष खोला जाएगा । उक्त अवसर पर उपस्थित होने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा ।

10– आई.एस. स्पेसिफिकेशन के मदों का नमूना किसी भी भारतीय मानक ब्यूरो / [illegible] से जांच कराकर, एजेंसी का टैग एवं सील लगाकर समर्पित करना होगा । साथ ही वह प्रयोगशाला भारत मानक

[illegible] मद की जांच हेतु मान्यता प्राप्त है, इसका प्रमाण-पत्र भी समर्पित [illegible] मूल में समर्पित करना होगा।

11- निविदा के तकनीकी भाग निर्धारित समय एवं तिथि को पुलिस मुख्यालय में खोला जायेगा। उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

12- आपूरित मद का निरीक्षण किस संस्था एवं किस रीति से कराया जायेगा [illegible] लगा जो फर्म पर बाध्यकारी होगा । मदों की जांच के दौरान संबंधित खर्च निविदादाता [illegible] इस जांच में हुए किसी प्रकार की विलम्ब के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

13- प्रत्येक निविदाकृत मद के लिए मात्र एक दर (सभी कर सहित) स्पष्ट रूप से [illegible] किया जाए । निविदा में अस्पष्ट सूचना यथा "कर आवश्यकतानुसार" इत्यादि अंकित नहीं होना चाहिए ।

14- निविदा के साथ Earnest Money Deposit के रूप में 1,00,000 [illegible] पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (वस्त्र), बिहार, पटना के नाम बंधित कर जमा करना अनिवार्य [illegible]।

15- मद की आपूर्ति केन्द्रीय वस्त्र भंडार, फुलवारी शरीफ, पटना में [illegible] मद तब तक स्वीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक कि निरीक्षण समिति मदों के निरीक्षण के पश्चात् [illegible] करने योग्य घोषित नहीं कर देती है । अस्वीकृत मद की सूचना प्राप्त होने पर निविदादाता को [illegible] से उक्त मद वापस ले जाना होगा ।

16- निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिर्टन, पैन नंबर तथा निर्माणकर्त्ता, ट्रेडर इत्यादि होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

17- मदो के लिए व्यक्त दरें संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा । 31 मार्च से कम अवधि के लिए व्यक्त दर मान्य नहीं होंगें ।

18- अगर निविदा अधिकृत विक्रेता या एजेंट द्वारा समर्पित की जाती है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होती है तो एकरारनामा के सम्पादन में निविदाकर्ता के साथ निविदाकर्ता को प्राधिकृत करने वाली [illegible] इकाई को भी सम्मिलित होना पड़ेगा ।

19- निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन-कौन से अनुलग्नक संलग्न किए हैं उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण-पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य है ।

20- निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात एवं नमूना स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

21- निविदा में भाग लेने वाले फर्म इस आशय का Affidavit जमा करेंगे कि "उनका फर्म किसी भी सरकारी / अर्द्धसरकारी / निजी संस्था द्वारा Black Listed/Debarred नहीं किया गया है एवं Sister Concern द्वारा इस निविदा में भाग नहीं लिया जा रहा है।

22- पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दे या निर्धारित मदों में आवश्यकतानुसार वर्णित मात्रा को घटा दें या बढ़ा दें ।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (वस्त्र)
बिहार, पटना ।